दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)
वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 35 / 2016

विषयः- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।

भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर बल दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार ने अधिकारियों और स्टाफ को शामिल करने के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की है। इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहल और डिजिटल विकल्प निम्न प्रकार हैं :-

(i) विभाग के सभी प्रकार के भुगतान और प्राप्तियाँ केवल डिजिटल विकल्प द्वारा ही की जाएंगी। चैक से भुगतान और प्राप्तियों को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) बोर्डिंग टार्गेट समूहों और लाभार्थियों के लिए कुछ विशेष लक्ष्यों को रखा जाएगा और इससे संबंधित प्रगति का निरीक्षण नियमित आधार पर किया जाएगा।

(iii) टार्गेट समूहों और लाभार्थियों के मध्य व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। जागरूकता सामग्री को एन.आई.टी.आई. आयोग की वेबसाइट (http://niti.gov.in/content/digital-payments) पर अपलोड किया गया है।

(iv) विभाग के पदधारियों के संपर्क में आने वाले टार्गेट समूह, लाभार्थी इत्यादि डिजिटल रूप से ट्रांजेक्शन करने में सक्षम होंगे। फील्ड पदधारियों को जनता को डिजिटल विकल्प का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

(v) डिजिटल विकल्पों का उपयोग करने में लक्षित जनसंख्या को प्रशिक्षित करने हेतु बैंकों, कॉर्पोरेट, स्व-सहायता समूहों, एन.जी.ओ. इत्यादि सहित सामान्य जनता के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएं।

इस संबंध में, निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिनका सभी संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाएगा।

(i) चैक के स्थान पर ई-भुगतान को बढ़ावा देना

जनता/आबंटितियों और कर्मचारियों को नकद/चैक/ड्राफ्ट के स्थान पर ई-भुगतान माध्यम अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

(ii) ऑनलाइन भुगतान कैसे करें, इसका वेबसाइट पर उल्लेख किया जाता है।

निदेशक (प्रणाली) दि.वि.प्रा. की वेबसाइट (http://dda.org.in) पर "डिजिटल भुगतान" हाइपरलिंक उपलब्ध करवाएंगे, जिसे दि.वि.प्रा. कर्मचारियों और उनके अन्य स्टेकहोल्डर्स की जागरूकता के लिए एन.आई.टी.आई. आयोग वेबसाइट (http://mniti.gov.in/content/digital-payments) पर अपलोड की गई जागरूकता सामग्री के साथ सीधे ही लिंक किया जाएगा।

(iii) **बैनर्स तैयार किए जाएंगे**

जनसंपर्क विभाग डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ और जनता की जागरूकता को बढ़ाने हेतु मुख्यालय और ज़ोनों के सार्वजनिक क्षेत्र में बैनर लगाएगा। साथ ही प्रत्येक कार्यालय के सूचना पट्ट पर डिजिटल भुगतान की जानकारी उपलब्ध करवायी जाएगी।

(iv) **पेंशन/पारिवारिक पेंशन**

पेंशन शाखा पहले से ही पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को खाते में प्रत्यक्ष रूप से ग्रेच्युटी, पेंशन संराशीकरण, एरियर इत्यादि का भुगतान कर रही है। तथापि पेंशन शाखा यह सुनिश्चित करें कि चैक द्वारा किसी प्रकार का भुगतान न किया जाए।

(v) **रोकड़ (मुख्य) शाखा/ज़ोन द्वारा भुगतान**

स्टाफ कान्ट्रेक्टर्स, सप्लायर्स इत्यादि को सभी प्रकार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही किया जाए।

(vi) **चिकित्सा दावों का भुगतान**

चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई नकद भुगतान न किया जाए। सभी प्रकार के भुगतान कर्मचारियों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं.-एफ.ई.5(44)/2016/डीडीए/721 **दिनांकः- 21-12-16**

प्रतिलिपि प्रेषितः-

(1) उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य/प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
(2) सभी मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष;
(3) निदेशक (प्रणाली)/विशेष कार्य अधिकारी (खेल);
(4) निदेशक (भूमि लागत)/वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (एम एंड पी);
(5) सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)-I एवं II;
(6) उप निदेशक (जनसंपर्क);
(7) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रोकड़ (मुख्य)/लेखा अधिकारी(खेल)/पी.ए.ओ.(ई.डब्ल्यू.)/ लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान)।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)